

## नियुक्ति विभाग

अनुभाग ४

विविध

अगस्त, १९७३ ई०

सं० ६/१—१६७२—नियुक्ति-४—संविधान के अनुच्छेद ३०६ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश (भूतपूर्व सैनिकों के लिये श्रेणी ३ तथा ४ की सेवाओं में तथा पदों पर रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, १६७३ ई०

१—संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ——(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (भूतपूर्व सैनिकों के लिये श्रेणी ३ तथा ४ की सेवाओं में तथा पदों पर रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, १६७३ कहलायेगी।

- (२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (३) यह प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष की अविध के लिये प्रवृत्त बनी रहेगी।

२—परिभाषायें——जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित व हो, इस नियमावली में——

- (क) "संघ की सशस्त्र सेना" का तात्पर्य संघ की नौ-सेना, सेना अथवा वायु सेना से है तथा इसके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेना भी है;
- (ख) "अंगहीन भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे भूत-पूर्व सैनिक से है जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान या उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में अंगहीन हुआ था।
- (ग) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने संघ की सशस्त्र सेना में किसी कोटि (रैंक) में (चाहे योधक के रूप में अथवा अनायोधक के रूप में) कम से कम छः माह की अविध के लिये लगातार सेवा की हो तथा—
- (१) दुराचरण अथवा अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से भिन्न रूप में, निर्मुक्त किया गया हो, अथवा निर्मुक्त होने तक रिजर्व में स्था-नान्तरित किया गया हो; या
- (२) उपर्युक्त प्रकार से निर्मुक्त होने अथवा रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की अविध पूरी करने के निमित्त छः मास से अनिधक सेवा करनी पड़ी हो।

३--प्रवर्तन--यह नियमावली श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ की समस्त सेवाओं तथा पदों पर, चाहे वह लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधिक्षेत्रान्तर्गत हो अथवा नहीं लाग् होगी।

४—रिक्तियों का आरक्षण—िकसी वर्ष में सीघी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली श्रेणी ३ की सेवाओं और पदों की दस प्रतिश्चत रिक्तियां तथा श्रेणी ४ की सेवाओं और पदों का पांच प्रतिश्चत रिक्तियां, जिनके अन्तर्गत ऐसी अस्थायी रिक्तियां भी हैं जिन्हें स्थायी किये जाने की संभावना हो तथा/अथवा जिनके एक वर्ष से अधिक चलते रहने की संभावना हो, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी जाने के लिये आरक्षित रहेंगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार किये गये आरक्षण का उपयोग प्रथमतः अंगहीन भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिये किया जायगा और यदि कोई ऐसी रिक्ति फिर भी बिना भरे रहे तो वह अन्य भूतपूर्व सैनिकों को दी जायगी।

५—आयु तथा शैक्षिक अर्हता में शिथिलता—(१)आयु— आरिक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिये किसी भूतपूर्व सैनिक को अपनी वास्तिवक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अविधि कम करने की अनुमति दी जायगी और यदि परि-णामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये वह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायगा कि वह उच्च आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

(२) द्यैक्षिक अर्हता——(क) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधिक्षेत्रान्तर्गत सेवा अथवा पद के लिये——

आयोग के अधिक्षेत्रान्तर्गत श्रेणी ३ की सेवाओं तथा पदों की आरक्षित रिक्तियों में केवल उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों का विचार किया जायगा जो सम्बद्ध सेवा अथवा पद के निमित्त विहित अर्हतायें रखते हों।

. (ख) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधिक्षेत्रवाह्यय पदों के लिये——

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से भिन्न ह्रण में भरी जाने वाली श्रेणी ३ की सेवाओं तथा पदों की आरक्षित रिक्तियों में किसी भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता, जहां विहित अर्हता विश्वविद्यालय की डिग्री हो, इंटरमीडिएट तथा जहां विहित अर्हता इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी, यिव विहित अर्हता हाई स्कूल अथवा उसके विहित अर्हता हाई ह्रिथिलता नहीं दी जायगी।

Joseph John

(ग) श्रेणी ४ के पदों तथा सेवाओं के लिये-

श्रेणी ४ के पदों पर तथा सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों में, भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिये, यदि वे अन्य प्रकार से उपयुक्त समझे जायं, शैक्षिक अर्हता कोई बाधा न होगी।

६—ज्येष्ठता तथा वेतन—(१) आरक्षित रिक्तियों में किसी भूतपूर्व सैनिक की ज्येष्ठता सम्बद्ध सेवा में अथवा पद पर प्रयोज्य भर्ती के सामान्य नियमों के अनुसार विनियमित की जायगी।

(२)वेतन—आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त किसी भत-पूर्व सैनिक को, पहली बार नियुक्त किये जाने पर, सम्बद्ध पद अथवा सेवा के वेतनमान का न्यूनतम वेतन मिलेगा।

७—सेवा नियमों का संशोधन--राज्य सरकार के अधीन, श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ की सेवाओं में तथा पदों पर, व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले समस्त नियम, इस नियमा-वली के उपबन्धों के अधीन समझे जायेंगे और तदनुसार उनका अर्थ लगाया जायगा।

आज्ञा से, अयोध्या प्रसाद दीक्षित, आयुक्त एवं सचिव।

[]प्रनिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पुणिस महार्गिरीक्षक (स्वायना) उ॰ प्र॰, लंबनक

## GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

## APPOINTMENT SECTION (4)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/1/72-Apptt.4, dated August 6, 1973:

No. 6/1/72-Apptt.4

August 6, 1973

In exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules:

- The U. P. (Reservation of Vacancies for Ex-Servicemen in Class III and Class IV Services and Posts) Rules, 1973.
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the U.P. (Reservation of Vacancies for Ex-Servicemen in Class III and Class IV Services and Posts) Rules, 1973.
  - (2) They shall come into force at once.
- (3) They shall remain in force for a period of three years from the date of their commencement.
- 2. **Definitions**.—In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Armed Forces of the Union" means the Naval, Military or Air Forces of the Union and includes the Armed Forces of the former Indian States;
  - (b) "Disabled ex-serviceman" means an ex-serviceman who while serving in the Armed Forces of the Union was disabled in the course of operations against the enemy or in disturbed areas;
  - (c) "Ex-serviceman" means a person who had served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months and—
  - (i) has been released, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or
    - (ii) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid.

- 3. Application.—These rules shall apply to all the Class III and Class IV services and posts whether within the purview of the Public Service Commission, Uttar Pradesh or not.
- 4. Reservation of vacancies.—Ten per cent of the vacancies in Class III services and posts and five per cent of the vacancies in Class IV services and posts, including temporary vacancies which are likely to be made permanent and/or are likely to continue for a period of more than one year, to be filled by direct recruitment in any year shall be reserved for being filled by ex-servicemen:

Provided that the reservation so made shall be utilised first for the appointment of disabled ex-servicemen and if any such vacancies still remain unfilled the same shall then be made available to other ex-servicemen.

- 5. Relaxation from age and educational qualification—(i) Age.—For appointment to reserved vacancies an ex-servicemen shell be allowed to deduct the period of his service in the Armed Forces from his actual age and if the resultant age does not exceed the maximum agelimit prescribed for the post/service for which he seeks appointment, by more than three years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding the upper age-limit.
- (ii) Educational qualification—(a) For service or post within the purview of the Public Service Commission, Uttar Pradesh.—Only those exservicemen shall be considered for reserved vacancies in Class III services and posts within the purview of the Commission, as possess the prescribed qualifications for the service or post concerned.
- (b) For posts outside the purview of the Public Service Commission, Uttar Pradesh.—The minimum qualification for appointment of an exservicement to reserved vacancies in Class III services and posts filled otherwise than through Public Service Commission, Uttar Pradesh, shall be Intermediate wherever the prescribed qualification is degree of a University, and High School or any other qualification recognised as equivalent thereto, wherever the prescribed qualification is Intermediate. There shall be no relaxation where the prescribed qualification is High School or a qualification equivalent thereto.
- (c) For Class IV posts and services—Educational qualification shall be no bar for appoint-

पुष्टिस महार्गिरीक्षक (स्वादना) उ॰प्र•, स्थनक ment of ex-servicemen otherwise considered suitable, in the received vacancies in Class IV posts and services.

- 6. Seniority and pay.—(1) Seniority of an ex-serviceman appointed to the reserved vacancies shall be regulated in accordance with the normal recruitment rules applicable to the service or post concerned.
- (2) Pay.—An ex-servicemen appointed to the reserved vacancies shall draw pay at the Copy forwarded for information.

minimum of the scale of the post or service concerned on his first appointment.

7. Amendment of service rules.—All rules regulating the recruitment of persons to Class III and Class IV services and posts under the State Government shall be deemed subject to the provisions of these rules and be construed accordingly.

By order,
AYODHYA PRASAD DIKSHIT,
Ayukt avam Sachiv.

पुलिस महार्गिरीक्षक (स्थापना) उ॰प्र॰, स्थापना)